Need to remove income ceiling for SCs/STs for availing the benefits of Government Schemes-laid

श्री गिरीश चन्द्र (नगीना): देश के कर्णधार नेताओं ने दलित सामाज को आजादी मिलने के 10 वर्षों के अन्दर उनके सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक विकास के द्वारा सामान्य वर्गों के बराबर लाने का वायदा किया था। परन्तु आज आय सीमा का बंधन लगाकर एससी/एसटी वर्ग के विकास कार्यों में बाधा डाल दी गयी है। आज केवल 5 प्रतिशत लोगों की ही स्थिति सुधर पाई है जबकि 95 प्रतिशत लोग आज भी दो समय का भोजन जुटाने की स्थिति में नहीं हैं। सवर्ण समाज के लिए आय सीमा 8 लाख रूपये और एससी/एसटी वर्गों के लिए आय सीमा 3 लाख रूपये है। चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी भी आय सीमा के कारण किसी भी सरकारी योजना का लाभ नहीं उठा सकते। जब सवर्ण समाज की वार्षिक आय सीमा 8 लाख रूपये रखी गयी थी, उसी तरह एससी/एसटी वर्गों के विकास से संबंधित आय सीमा 8 लाख रूपये वार्षिक ही कर देनी चाहिए, किन्तु नहीं की गयी है। मेरी मांग है कि जिस प्रकार से Free and Compulsory Education Act, 2009 में एस.सी.एस.टी वर्गों को Disadvantaged Group माना गया है, ठीक उसी प्रकार से कम से कम 20 वर्षों के लिए एस.सी./एस.टी. वर्गों को उनके विकास में बाधा बनी आय सीमा को तुरन्त भारत सरकार की सभी योजनाओं से हटाया जाए।